कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)
District Legal Services Authority, Mahasamund (C.G.)
Phone 07723-222939 e-mail ID- dlsa.mahasamund1@gmail.com

// आदेश //

क्रमांक– 42 / LADCS / 2025 महासमुंद, दिनांक–21.07.2025

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुन्द के अंतर्गत स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम महासमुन्द के कार्यालय हेतु स्टॉफ के रिक्त कार्यालय सहायक/क्लर्क एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेण्डेंट) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संविदात्मक पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1800/ LADCS-23-05 / 2024 दिनांक 27.06.2025 के अनुसार किये गये अनुमोदन के आधार पर भृत्य (मुंशी/अटेण्डेंट) के पद हेतु चयनित उम्मीदवार श्री खुबलाल पिता तिलोक चंद द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात कार्य से त्याग पत्र दिये जाने के उपरांत प्रतिक्षा सूची से श्री मधुराम साहू पिता टिकेश्वर साहू को नियुक्ति आदेश रजिस्टर डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था। उक्त उम्मीदवार द्वारा अंतिम तिथि तक कार्यभार ग्रहण नही किये जाने के फलस्वरूप प्रतिक्षा सूची से सरल क्रमांक–02 के निम्न उम्मीदवार को उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद एवं एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (रिटेनरशिप) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से दिनांक 26.06.2025 से दिनांक 25.06.2026 तक के लिए निर्धारित शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्र0	चयनित उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम एवं पता	पद का नाम	एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (रिटेनरशिप) की राशि
01	नागेश्वर मंडावी पिता रामखिलावन, नियर दुर्गा मंदिर आर्य नगर कोहका वार्ड–12 सड़क 9 सुपेला भिलाई जिला दुर्ग (छ0ग0)	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेण्डेंट)	9000/–प्रतिमाह

नियुक्ति की शर्ते :–

1. उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को दिनांक–01.08.2025 तक अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा
2. चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न है, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक अथवा अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।
3. चरित्र सत्यापन में अथवा किसी अन्य माध्यम से पदधारी की किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
4. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु अतिरिक्त रूप से नियुक्त Spporting staff कार्यालय सहायक (Office Assistant) एवं भृत्य/मुंशी (Office Peon (Munshi/Attendent) पद के स्टाफ की पूर्णतया अनुबंधित संविदात्मक नियुक्ति

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदन दिनांक 26.06.2025 से 25.06.2025 तक की अवधि के लिए 01 वर्ष के लिए होगी। जिनका कार्यकाल/कार्यावधि नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों के कंडिका–4 के प्रावधानुसार तथा नालसा से प्राप्त जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा ।

5. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु अतिरिक्त रूप से नियुक्त Spporting staff कार्यालय सहायक (Office Assistant) एवं भृत्य/मुंशी (Office Peon (Munshi/Attendent) पद के स्टाफ का मानदेय सालसा का पत्र कमांक/1730/LADCS/2023 बिलासपुर दिनांक 26.06.2023 के बिन्दु क्रमांक–03 में निर्धारित क्लास – ए, क्लास – बी एवं क्लास – सी तीनों में एक का चयन अपने तीनों में जो इस जिले के लिए पूर्व में निर्धारित हुआ है, चयन के आधार पर मानदेय निर्धारित किया गया है।

6. अतिरिक्त रूप से नियुक्त किये गये Spporting staff कार्यालय सहायक (Office Assistant) एवं भृत्य/मुंशी (Office Peon (Munshi/Attendent)) से नालसा से प्राप्त संविदात्मक अनुबंध (Contractual Engagement) पत्र की शर्तो को मान्य किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित प्रथमतः किया जावेगा।

उक्त अनुबंध पत्र में नालसा के पत्र क्रमांक F.No.L-27/2022- NALSA(Part File) 4678–4714 dated 27th March, 2024 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत तथा नालसा से प्राप्त पत्र कमांक F.No. L- 27/2022/NALSA/415 dated 16th April, 2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नीचे उल्लेखित अनुबंध की शर्ते में अनिवार्यतः सम्मिलित करते हुए अनुबंध भरा जाना है :–

"You will not be entitled to a regular government post, salary, or benefits, as the payment is based on honorarium or retainership, and not on a salary basis."

''आपको नियमित सरकारी पद या सरकारी वेतन, या सुविधाओं का अधिकार नही होगा क्यों मानदेय या रिटेनरशीट के आधार पर और वेतन के आधार पर नही।''

उपरोक्तानुसार अनुबंध की शर्ते एवं पूर्व निर्धारित सम्पूर्ण अनुबंध की शर्तो को मान्य करते हुए, संविदात्मक अनुबंध पत्र नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों के कंडिका–4 के प्रावधान अनुसार संचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अनुबंधकर्ता के मध्य की जावेगी तथा अनुबंध पत्र में अनुबंधकर्ता के पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर, स्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक सहित पूरा नाम एवं पता दिनांक सहित तैयार किया जावें।

7. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक/एल/20/2019–नालसा दिनांक 24 अगस्त, 2022 के साथ संलग्न पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी के अनुसार

नियुक्त स्टाफ की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी। साथ ही नालसा का पत्र क्रमांक F.N.L/20/2019 NALSA dated 11-02-2023 एवं पत्र क्रमांक F.N.L/20/2019-NALSA dated 14-02-2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यो को नियुक्त किये गये स्टाफ कार्य सम्पादित करेंगें, यदि कार्य संतोषजनक नही होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते है तथा आपराधिक, राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी ऐसे स्टाफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

8. Spporting staff (Office Assistant & Office Peon) लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेगें।

9. जिलें में अतिरिक्त रूप से नियुक्त किये जाने वाले Spporting staff (Office Assistant & Office Peon) को नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

(अनिता डहरिया)
अध्यक्ष / जिला न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
महासमुन्द (छ0ग0)

पृ0 कमांक–1561 / LADCS / 2025 महासमुंद, दिनांक–21.07.2025

प्रतिलिपि :–

1. माननीय सदस्य सचिव, छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान अध्यक्ष, भर्ती चयन समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुन्द की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय महासमुन्द की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यालय, लीगल एड डिफेंस कौसिंल महासमुन्द की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. नागेश्वर मंडावी पिता रामखिलावन, नियर दुर्गा मंदिर आर्य नगर कोहका वार्ड–12 सड़क 9 सुपेला भिलाई जिला दुर्ग (छ0ग0)
 सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(अनिता डहरिया)
अध्यक्ष / जिला न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
महासमुन्द (छ0ग0)